

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश संख्या 2, मथुरा।

एसटी संख्या 306/2017

राज्य बनाम मंगतू

धारा 307 भा०द०सं०

थाना शेरगढ़, जिला मथुरा।

आरोप

मैं डा० बब्बू सारंग, अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 2, मथुरा आप अभियुक्त मंगतू को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करता हूँ -

1. यह कि दि०12-1-2-14 को समय 7-00 बजे स्थान ग्राम सेही थाना शेरगढ़ जिला मथुरा में आपने वादी के चाचा भगवान सिंह को गोली मारकर गम्भीर रूप से घायल कर दिया जिससे उनकी मृत्यु होना सम्भव थी जो धारा 307 भा०द०सं० के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है एवं इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।
- 2 यह कि उपरोक्त दिनांक, समय वस्थान पर आप अभियुक्तगण द्वारा वादी के चाचा को गालीगलौज कर अपमानित किया जोकि धारा जो धारा 504 भा०द०सं० के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है एवं इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।
- 3 यह कि उपरोक्त दिनांक, समय वस्थान पर आप अभियुक्तगण द्वारा वादी के चाचा को आयन्दा जान से मारने की धमकी दी जोकि धारा जो धारा 506 भा०द०सं० के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है एवं इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद द्वारा निर्देशित किया जाता है कि उक्त आरोप के अधीन आपका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

दिनांक: 14-3-2019

(डा० बब्बू सारंग)

अपर सत्र न्यायाधीश,

न्यायालय सं०2, मथुरा।

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया जिसे अभियुक्त ने इन्कार किया तथा विचारण की याचना की।

दिनांक: 14-3-2019

(डा० बब्बू सारंग)

अपर सत्र न्यायाधीश,

न्यायालय सं०2, मथुरा।

14-3-2019

पत्रावली पेश की गयी। पुकार पर अभियुक्त मंगतू न्यायालय में उपस्थित हैं व विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी उपस्थित हैं। विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी एवं विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण को आरोप पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं केस डायरी का अवलोकन किया।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा अपने मामले का कथन, अभियुक्त के विरुद्ध लगाये गये आरोप का वर्णन करते हुए और यह बताते हुए कि वह अभियुक्त के दोष को किस साक्ष्य से साबित करने की प्रस्थापना करता है, आरम्भ किया गया। मामले के अभिलेख एवं उसके साथ दिये गये दस्तावेजों पर विचार करने एवं इस निमित्त अभियुक्त एवं अभियोजन के निवेदन की सुनवाई कर लेने के पश्चात मेरे विचार से अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने का पर्याप्त आधार होना लगता है तथा अभियुक्त के विरुद्ध ऐसी उपधारणा करने का प्रथम दृष्टया आधार लगता है कि अभियुक्त ने उक्त अपराध कारित किया है। तदनुसार अभियुक्त के विरुद्ध आरोप धारा 307, 504, 506 विरचित किया जाना न्यायोचित लगता है।

तदनुसार उक्त अभियुक्त के विरुद्ध उक्त आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से मना किया तथा घटना का विचारण चाहा।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य दि० 24-4-2019 को पेश हो। अभियोजन जिन भी साक्षी को, न्यायालय के माध्यम से आहूत करना चाहे, उनकी सूची नियत दिनांक को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे।

अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या 2, मथुरा।